

राजस्थान अधिनीयम 1956 अगिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
राजस्थान अधिनीयम : सुश्री धायगुडे रनेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMs No : 2022/113
दायरा तिथि : 04.04.2022
फैसला तिथि : 14-5-22
प्रार्थी:-

निशा पुत्री भोपालसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी बारवा तहसील बाली

अप्रार्थी :-

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थिति:-

1. श्री नारायणसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली पैरोकार सरकार की ओर से

--: आदेश :-

दिनांक 14-5-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बारवा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1119 रकबा 0.3033 हैक्टर, खसरा नंबर 1114 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 1115 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 1112 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 1113 रकबा 0.0800 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हीना पुत्री भोपालसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम निशा पुत्री भोपालसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रतियां पेश की गईं। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम हीना पुत्री भोपालसिंह दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व उच्च माध्यमिक परीक्षा-2019 प्रमाणपत्र के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम निशा पुत्री भोपालसिंह दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम हीना पुत्री भोपालसिंह के स्थान पर निशा पुत्री भोपालसिंह शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री नारायणसिंह राजपुरोहित ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम निशा पुत्री भोपालसिंह है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व उच्च माध्यमिक परीक्षा-2019 प्रमाणपत्र की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम हीना पुत्री भोपालसिंह दर्ज है, जिससे राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बारवा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1119 रकबा 0.3033 हैक्टर, खसरा नंबर 1114 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 1115 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 1112 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 1113 रकबा 0.0800 हैक्टर में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम हीना पुत्री भोपालसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम निशा पुत्री भोपालसिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुश्री धायगुडे रनेहल नाना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)
(एस.डी.ओ.) बाली

भू. अधिनीयम अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)